बिहार विधान परिषद

206वां बजट सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

28 फरवरी 2024

: **[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].**

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 13

वरीयता का निर्धारण

18. **श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सभी सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता का निर्धारण (क) सीधी भर्ती एवं समान ट्रांजेक्शन की स्थिति में सूची/पैनल में नाम के क्रम के अनुसार (ख) पृथक-पृथक विज्ञापन/ ट्रांजेक्शन की स्थिति में जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हुई, उसके अनुसार तथा (ग) संवर्ग के अधीन उच्चतर पद एवं वेतनमान वालों की वरीयता पदानुक्रम में निर्धारित किए जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि समाहरणालयों में प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय प्रतियोगिता परीक्षा 1998 के आलोक में नियुक्त लिपिक उच्च वर्गीय लिपिक है तदनुरूप उनकी वरीयता का स्थान दिनांक 20.12.2000 के पश्चात् समाहरणालय में अन्य रीति से नियुक्त नि.व.लि. से उच्च होना चाहिए ;

(ग) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों से वर्ष 1996 एवं 1997 में अधियाचित पदों के विरूद्ध प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मी की वरीयता का स्थान 1997 के बाद उसी संवर्ग में नियुक्त समान पद के कर्मी से ऊपर होना चाहिए क्योंकि

उनकी नियुक्ति पूर्व के वर्ष के उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त लिपिकों की वरीयता उनके योगदान की तिथि के अधार पर नहीं अपितु (क) बिहार लोक आयोग द्वारा प्रेषित मेधासूची के क्रम में (ख) 20.12.2000 के पश्चात् नि.व.लिपिक के रूप में नियुक्त कर्मी एवं (ग) 1998 के पश्चात नियुक्त लिपिकों के उपर (पूर्ववर्ती स्थान पर) निर्धारित करने संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पी०सी०सी० एवं नाला

57. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर नगर परिषद् क्षेत्र स्थित एन.एच.104 फतहपुर ट्रांसफार्मर चौक से फतहपुर पछियारी टोला तक जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर एवं दयनीय अवस्था में रहने के कारण आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पी.सी.सी. ढ़लाई एवं नाले का निर्माण कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?

रिविजनल सर्वे रद्द करना

58. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला में वर्ष 1980-81 में रिविजनल सर्वे प्रारंभ किया गया था जो वर्ष 1988-89 में फाइनल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिले में रिविजनल सर्वे सही ढंग से नहीं होने के कारण तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सरकारी भूमि को रिविजनल सर्वे में रैयती खतियान बना देने के कारण अनधिकृत रैयतों, भूमि माफियाओं द्वारा उसे बेच दिया गया जिसपर बड़े-बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि जिले के सभी प्रखंडों में वास्तविक रैयतधारी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से खतियान बना दिया गया, जिसके कारण जिले में भूमि विवाद के हजारों मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं;

(घ) क्या यह सही है कि जिले के सभी प्रखंडों में पुराने नक्शा में सरकारी भूमि के

खेसरा को दर्शाया गया है, किन्तु नये नक्शा में उक्त खेसरा को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रैयत बनाकर खतियान बना दिया गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार रिविजनल सर्वे की उच्चस्तरीय जांच कराकर उसे रद्द करना चाहती है तथा तत्काल पुराने नक्शा में अंकित खेसरा के आधार पर रैयतधारियों की जमाबंदी दर्ज करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

लक्ष्य का निर्धारण

59. **प्रो. (डा.) राजवर्धन आजाद (मनोनीत):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में हर साल पर्यटन से प्राप्त राजस्व की वसूली की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि आने वाले साल में इसका कोई लक्ष्य का निर्धारण किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या यह बताना चाहती है कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली कितनी है एवं इसका आधार क्या है, नहीं तो क्यों ?

कचरा निस्तारण गृह

60. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है जिला- जहानाबाद, प्रखण्ड- घोसी, पंचायत- शाहपुर, ग्राम- शाहपुर, वार्ड नं०- 08 के ठाकुर स्थान में कचरा निस्तारण गृह का निर्माण कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर कचरा निस्तारण गृह बनाया जा रहा है वहां पर वर्षों पूर्व से ही श्मशान घाट बना हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि कचरा निस्तारण गृह के लिए भूमि आस-पास उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीणों की आपत्ति के बाद भी इसका निर्माण उसी स्थान पर कराया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहां से अन्य किसी और स्थान पर जहां भूमि उपलब्ध है, वहां कचरा निस्तारण गृह का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

चिल्ड्रन पार्क

61. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मोकामा नगर परिषद् के वार्ड नंबर-22 में स्थित चिल्ड्रन पार्क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त के साथ अतिक्रमण का शिकार भी हो गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चिल्ड्रन पार्क को अतिक्रमण मुक्त करते हुए पार्क का विकास करना चाहती है ,यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?

सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण

62. **श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन-फुलवारी प्रखंड के बीच पुनपुन के पास सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

63. **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के आई०टी० सहायकों को ससमय वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के नवादा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, वैशाली एवं पूर्णिया जिला के आई०टी० सहायकों को दिनांक 01.01.2023 से 01.05.2023 तक 3000(तीन हजार) रुपये की बकाया राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है खण्ड 'ख' में दर्शाए गए जिला के अल्पवेतन भोगी आई०टी० सहायकों को ससमय वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के सभी आई०टी० सहायकों को ससमय वेतन एवं बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परिमार्जन में सुधार

64. **श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में रैयतों की जमाबंदी के डिजिटलाईजेशन के दौरान प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी अथवा रकबा की गलत प्रविष्टि हो जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा संदलपुर की श्रीमती चंद्रावती झा (वार्ड नं० 18/24) के खाता सं०-670, प्लॉट सं०- 1051 एवं 1052 का वर्ष 2014 तक मैनुअल लगान कटता रहा है;

(ग) क्या यह सही है डिजिटलाईजेशन के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी में इनका नाम, खाता संख्या प्लॉट संख्या की गलत प्रविष्टि कर दी गई जिसके सुधार हेतु इन्होंने आठ माह पूर्व दिनांक 17.05.2023 को परिमार्जन दायर किया जिसकी शिकायत ID-20232802025862 है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपर्युक्त दायर परिमार्जन में शीघ्र सुधार करने तथा राज्य भर में दर्ज ऐसे हजारों मामलों का निश्चित समयावधि में समाधान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

पुरानी पेंशन योजना

65. **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी सितंबर, 2005 के पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों को नई पेंशन योजना से आच्छादित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंसा पर विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर होने वाली नियुक्ति को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प दिया है परन्तु बिहार सरकार द्वारा नई पेंशन योजना लागू होने के पूर्व के विज्ञापन के आलोक में नियुक्त होने वाले कर्मी को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विकल्प देने का प्रावधान नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है बिहार सरकार ने राज्य में कार्यरत नई पेंशन प्रणाली लागू करने के पूर्व के विज्ञापन के आलोक में नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 11(ग्यारह) पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसे राज्य कर्मियों को जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन नई पेंशन प्रणाली लागू करने की तिथि के पूर्व की हो, को भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्राथमिकी दर्ज

66. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिले के वारिसनगर अंचल अंतर्गत ग्राम मकसुदपुर के भूतपूर्व सैनिक पवन कुमार सिंह को प्रभारी उपसमाहर्ता के ज्ञापांक-804, दिनांक- 15.04.1976 द्वारा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर आज तक स्व. पवन कुमार सिंह के आश्रित को कब्जा नहीं दिलाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पत्रांक-28 मु./भु०सु० दिनांक 09 फरवरी 2016 द्वारा अंचल अधिकारी, वारिसनगर को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि खण्ड 'ग' में वर्णित बिन्दुओं पर अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा कारवाई नहीं किये जाने पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने अपने ज्ञापांक-324 भु०सु० दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा जिलाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध किया कि अंचलाधिकारी, वारिसनगर को पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाने हेतु निदेश दिया जाए, किन्तु 8 वर्ष बीतने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित भूतपूर्व सैनिक, पर्चाधारी को उनकी जमीन पर दखल-कब्जा दिलाना चाहती है और 40 साल से उनके आश्रित को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल जमाव का निदान

67. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मोकामा नगर परिषद् क्षेत्र में हो रहे जल-जमाव के स्थाई निदान हेतु सरकार ने अलग से राशि की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में जल-जमाव की स्थिति से नागरिकों को हो रही कठिनाई के साथ-साथ बड़ा भू-भाग भी अनुपयोगी हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में जल जमाव के निदान हेतु कार्य योजना की अद्यतन जानकारी से सदन को अवगत कराना चाहती है ,यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?

बूथ का निर्माण

68. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या **सहकारिता** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत 09 (PVCS) का निर्माण किया जा चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त योजना का ब्रांड- ''तरकारी'' है, संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना अन्तर्गत खुदरा बिक्री हेतु दुग्ध बूथ की तरह तरकारी बूथ की स्थापना भी करना है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे बूथ का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?